न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 140 / 2024

अनवान : –

अनवान : –

1. रेहान उम्र 10 वर्ष
2. रिजवान उम्र 8 वर्ष
3. अन्सरा

} पुत्र व पुत्रीयान जावेद जाति कुम्हार मुसलमान निवासीगण नोहर हाल फेफाना नाबालिग जरिये कुदरती बली माता नूरसलाम पत्नी जावेद जाति मुसलमान

– वादीगण

बनाम्

1. जावेद पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. महबुब पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मकबुल पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. साजिद पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. नसीम पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. शहनाज पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. मैमूना पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. रूकसाना पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 4 के प0न0 314 / 445 मु0न0 36 के किला न0 17 ता 25 की 2.5300 हैक्ट भूमि प0न0 314 / 446 मु0न0 39 के किला न0 1 ता 4 की 1.0120 हैक्ट भूमि कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि लियाकत अली पुत्र साहबदीन के नाम दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लियाकत अली पुत्र साहबदीन के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। लियाकत अली पुत्र साहबदीन का देहान्त हो चुका है। लियाकत अली पुत्र साहबदीन के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण है। वादीगण के पिता का उक्त भूमि में से 1 / 7 हिस्सा है जिसमें वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 नशे का आदि है अपने दुर्व्यसनो की पूर्ती हेतु उक्त दादालाई भूमि को बैय करना चाहता है। अत रोही मौजा 15 बारानी के खाता स0 4 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 को 1 / 28 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लियाकत अली पुत्र साहबदीन के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। लियाकत अली पुत्र साहबदीन का देहान्त हो चुका है। लियाकत अली पुत्र साहबदीन के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण है। वादीगण के पिता का उक्त भूमि में से 1/7 हिस्सा है जिसमें वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 नशे का आदि है अपने दुर्व्यसनो की पूर्ती हेतु उक्त दादालाई भूमि को बैय करना चाहता है। अत रोही मौजा 15 बारानी के खाता स0 4 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स0 1 को 1/28 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्स्व रिकार्ड के मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 4 के प0न0 314/445 मु0न0 36 के किला न0 17 ता 25 की 2.5300 हैक्ट भूमि प0न0 314/446 मु0न0 39 के किला न0 1 ता 4 की 1.0120 हैक्ट भूमि कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि लियाकत अली पुत्र साहबदीन के नाम दर्ज है। लियाकत अली का देहान्त हो चुका है। वादी व प्रतिवादीगण मुस्लिम धर्म से शासित है तथा मुस्लिम विधि से शासित है इसलिए मुस्लिम विधि में कोई बाई बर्थ राईट नही होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्रों/पुत्रीयों का बाई बर्थ राईट नही होता है एवं वादी मुस्लिम विधि के अनुसार वाद भूमि को दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 140 / 2024

अनवान : –

1. रेहान उम्र 10 वर्ष
2. रिजवान उम्र 8 वर्ष
3. अन्सरा

पुत्र व पुत्रीयान जावेद जाति कुम्हार मुसलमान निवासीगण नोहर हाल फेफाना नाबालिग जरिये कुदरती बली माता नूरसलाम पत्नी जावेद जाति मुसलमान

– **वादीगण**

बनाम्

1. जावेद पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. महबुब पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मकबुल पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. साजिद पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. नसीम पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. शहनाज पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. मैमूना पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. रूकसाना पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 140 सन 2024 निर्णय दिनांक 29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर